

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर ।

क्रमांक: मुख्या / विधि / सामान्य / 2020 /

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा कार्यालय आदेशांक मुख्या / पीएस / सीएमडी / 2020 / 491 दिनांक 09.06.2020 द्वारा नाराजगी प्रकट की गई व निर्देशित किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारियों द्वारा काफी देरी से प्राप्त कर कार्यालयों में प्रस्तुत की जाती है जिससे निगम को आर्थिक काफी नुकसान उठाना पड़ता है ।

साथ ही यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में विभिन्न पत्रों के माध्यम से समय पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया हुआ है ।

अतः सभी प्रभारी अधिकारी / मुख्य प्रबन्धकों / अनुभाग में कार्यरत स्टाफ से अपेक्षा की जाती है कि उक्त आदेशों की सख्ती से पालना कर भविष्य में माननीय न्यायालय से जारी होने वाले निर्णयों की प्रति शीघ्र कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाये ताकि उस पर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जा सके अन्यथा परिपत्र के निर्देशानुसार कार्यवाही अग्रसर होगी ।


(हारून अली)

कार्यकारी निदेशक(विधि)

क्रमांक: मुख्या / विधि / सामान्य / 2020 / 72 दिनांक 15-6-2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यकारी प्रबन्धक(विधि / एम.ए.सी.टी. / श्रम), मुख्यालय जयपुर ।
2. मुख्य प्रबन्धक / प्रभारी अधिकारी, रापनिगम..... ।
3. आदेश पत्रावली ।


(हारून अली)

कार्यकारी निदेशक(विधि)